

सरल कानूनी ज्ञान माला - 3

वन सम्बन्धी कानून की संक्षिप्त जानकारी

1. हमारा जीवन वन पर आधारित है -

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकतर क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है और वनों की सुरक्षा में ही राज्य की समृद्धि निर्भर है। पहाड़वासियों के रोजमर्रा के जीवन में वन का विशेष महत्व है। वन हमारी लकड़ी, ईंधन, चारा-पत्ती इत्यादि की मांग को पूरा करने के साथ-साथ प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करके हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकता है। वन के कारण ही जलवायु को स्वच्छ रखने के साथ-साथ भूमि एवं जल का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के निवास स्थल होने से वन हमारे जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। अतः वन एवं वन्यजीव हमारी बहुमूल्य संपदा है जिसकी सुरक्षा करने में योगदान देना हम सबको विधिक एवं नैतिक दायित्व है।

2. वनों की सुरक्षा सम्बन्धी बनाये गये महत्वपूर्ण कानून वनों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार से है-

- (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927
- (ख) वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- (ग) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- (घ) पशु अतिचार अधिनियम, 1971

भारतीय वन अधिनियम, 1927

वनों की सुरक्षा के लिए आजादी से पहले से ही कानून बनाकर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था थी। वनों के उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और वन्य उपज के उद्ग्रहण के शुल्क में सम्बद्ध सभी मामलों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की सम्पत्ति है, को अधिनियम की धारा-3 में प्राविधानित ढंग से संरक्षित वन नियत कर सकती है।

(i) अधिनियम के मुख्य-मुख्य प्राविधान -

वनों, वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि का समेकन करना।

- ◆ राज्य सरकार को किसी वन भूमि या बंजर भूमि या अन्य भूमि जो सरकार की सम्पत्ति है, इस अधिनियम की धारा-3 में प्राविधानित ढंग से संरक्षित वन नियत करना।
- ◆ चारागाह या वन उपज के अधिकारों से सम्बद्ध दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी पूर्णतः या भागतः टूट या खारिज करने का आदेश पारित करेगा।
- ◆ यदि वन अधिकारी द्वारा इस अधिकार को नामंजूर कर दिया जाता है, इस आदेश के विरुद्ध 3 माह के अंदर जिला जज के यहां अपील दायर की जा सकती है।
- ◆ इस अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारी को आरक्षित वनों के पथों और जल मांगों को बन्द करने की शक्ति होगी।
- ◆ आरक्षित वनों में आग लगाने तथा पशुओं पर अत्याचार करने पर दण्डित किया जा सकता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति पेड़ गिराएगा, छेदेगा या जलाएगा, खेती के लिए किसी भूमि को साफ करेगा इत्यादि।
- ◆ अधिनियम की धारा-26 के अंतर्गत वन को नुकसान पहुँचाने के कारण इस अधिनियम 6 माह तक का कारावास या 500/- रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- ◆ यदि कोई आरक्षित वन को जानबूझकर नुकसान पहुँचाता है या किसी अपेक्षा द्वारा आग लगायी जाती है तो राज्य सरकार उसके किसी प्रभाग में चारागाह या वन उपज, के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी काल्पवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझती है

निलंबित कर सकती है।

- ◆ अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जाएगा।

(ii) ग्राम वनों का निर्माण -

राज्य सरकार किसी आरक्षित वन पर सरकार के अधिकारों को किसी ग्राम समुदाय को समनुदेशित कर सकेगी या समनुदेशित को निरस्त कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित सभी वनों को ग्राम वन कहा जायेगा। इस प्रकार जिसे ऐसा समनुदेशन किया गया है, को इमारती लकड़ी या अन्य वन उत्पाद या चारागाह और ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रावधान किया जायेगा और नियम बना सकेगी।

(iii) आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाने पर दण्डित किया जा सकता है -

अधिनियम की धारा-33 के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् -

- ◆ धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिरायेगा, छांटेगा, छेदेगा या जलायेगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा।
- ◆ किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूँकेगा, या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा या उसे हटायेगा।
- ◆ किसी संरक्षित वन में, किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा।
- ◆ ऐसे वन को आग लगायेगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, ऐसे वन के बन्द किये गये किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते बिना आग जलाएगा।
- ◆ ऐसे किसी पेड़ या वन प्रभाग के समीप में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा।
- ◆ किसी पेड़ को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार गिरायेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुँचाता है।
- ◆ पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा।
- ◆ धारा-32 के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा।
- ◆ वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो 6 माह तक की हो सकेगा या जुर्माना से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(iv) स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण -

धारा-38 के अंतर्गत स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण किया जा सकता है। इसका प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को देना होगा कि इस भूमि पर वनों का रोपण या संरक्षण किया जाये।

(v) वनों के प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति -

यदि राज्य सरकार लोकहित में किसी विशिष्ट वन भूमि का प्रबन्धन ग्रहण करना लोकहित में उचित समझती है, तो वह अधिनियम की धारा 38 ज के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करके शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा आदेश पारित कर सकती है।

(vi) वारण्ट के बिना वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति -

1. अधिनियम की धारा-64 में व्यवस्था की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन विषयक अपराध से सम्पृक्त है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।
2. इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना और बन्ध पत्र पर निर्मुक्त करने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के जिसे इस मामले में अधि

कारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन में भारसाधक अधिकारी के पास ले जायेगा या भेजेगा।

(vii) किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति-

अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत, रेंजर के निम्न पंक्ति का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा-64 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा यह बंधपत्र निष्पादित कर दिये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि जब ऐसी अपेक्षा की जायेगी तो तब वह मामले के बारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के समक्ष उपसंजात हो जायेगा।

(viii) अपराधों के संक्षिप्ततः निवारण करने की शक्ति -

धारा-67 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी ऐसे विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्ततः कर सकेगा, जो 6 माह से अनधिक कारावास या पाँच सौ रुपये से अधिक जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

(ix) अपराधों का शमन करने की शक्ति -

1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा-62 या धारा -63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध में भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिग्रहित कर लें और जब कोई संपत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दे दिए जाने पर सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दें।
2. ऐसे अधिकारी के यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य या दोनों को दे दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायेगा और वह सम्पत्ति यदि कोई हो, जो अभिग्रहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जायेगी ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(x) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना -

किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में जो विधिपूर्वतः चारागाह के लिए बन्द किया गया है, अतिचार करने वाले पशुओं को पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा -11 के अर्थ में लोक बागान को नुकसान करने वाले पशु समझा जायेगा, और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिग्रहीत और परिवद्ध किया जा सकेगा।

(xi) राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियाँ विनिहित कर सकेगी -

1. राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी। अर्थात् किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति, साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी वारण्ट निकालने की शक्ति, वन विषयक अपराधों की जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति-
2. उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य किया गया हो।

(xii) बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के सहरण के सम्बन्ध में -

बहती हुई, किनारे पर लगी हुई, अटकी हुई, डूबी हुई इमारती लकड़ी पर यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार या हक सिद्ध न कर दें वह सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी। इसके लिए सरकार धारा-46 में वन अधिकारी, लोक सूचना जारी करेगा जिसकी सूचना की तारीख में दो माह के अन्दर दावा करने वाले व्यक्ति को दावे का लिखित कथन उपस्थित करना होगा। वन अधिकारी जांच करने के बाद कारणों की उल्लिखित करके इसका निस्तारण करेगा।

(ख) वन संरक्षण अधिनियम - 1980

- (i) केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का प्रयोग नहीं कर सकती।

इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय यह निर्देशित नहीं कर सकेगा कि -

1. कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त हो जायेगा।
2. कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।
3. कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा या अन्यथा रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या अन्य संगठन को समनुदेशित किया जा सकेगा।
4. कोई भी वन भूमि या उसके किसी भाग में से पेड़ों को, जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप से उपजा हो, पुनः वनरोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा।

(ii) गैर वन प्रयोजन से तात्पर्य -

चाय, काफी, मसाले, रबड़, नारियलों, तेल उत्पादन संयंत्र, बागवानी फसलें, या मेडिकल वनस्पति के लिए या पुनः रोपण के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके भाग के उन्मूलन या सफाई से है।

(iii) अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन अपराध है -

जो कोई उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह 15 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

(iv) इस अधिनियम में सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा -

जो कोई उपरोक्त अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करेगा और इसकी संरचना वन संरक्षण नियम 1981 की धारा -2 (क) में समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों से की जायेगी -

1. वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय - अध्यक्ष
2. अपर वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय - सदस्य
3. संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण), कृषि मंत्रालय - सदस्य
4. उप वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), वन और पर्यावरण मंत्रालय - सदस्य

(v) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव करने की प्रक्रिया -

प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए अपना प्रस्ताव भेजेगी जो भारत सरकार का सचिव, पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग, पर्यावरण भवन केन्द्रीय सरकार अधिकारी, लोधी रोड, नई दिल्ली को भेजा जाएगा। परन्तु एक हैक्टेयर से कम वन भूमि को अन्तर्ग्रस्त करने वाले सभी प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को भेजे जायेंगे।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति -

1. केन्द्रीय सरकार नियम (4) के उप नियम (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव को उस पर अपना निर्णय देने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी यदि अन्तर्गमन वन भूमि का क्षेत्रफल दस हैक्टेयर से अधिक हो।
2. समिति उप नियम (2) के अधीन अपने निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना विचार देते समय निम्न मामलों में से किसी या सभी पर सम्यक् ध्यान देगी, यथा
3. कि गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित वन भूमि प्रकृति आरक्षित, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण, जीव मण्डल आरक्षित भाग है या वनस्पति और जीव जन्तु के किसी संकटापन्न या संकट में जाति के आवास या गंभीर रूप से अपरदित आवास में पड़े हुए क्षेत्र का भाग है।
4. कि किसी वन भूमि का प्रयोग कृषीय प्रयोजन के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने आवासों से निर्वासित किये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए हैं।
5. कि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने अभिप्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचारण किया है और कि परिस्थिति में अन्य विकल्प साध्य नहीं हैं और अपेक्षित क्षेत्र प्रयोजन के लिए आवश्यक में से कम से कम है।

6. कि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समान क्षेत्र के भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए अपनी लागत पर प्रदान करने का वचन देता है।
7. सलाह देते समय समिति किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के प्रयोग पर किसी शर्त पर निर्बन्धन का सुझाव दे सकेगी जो उनके विचार में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा।

(ग) वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम-1972

यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जिसके अंतर्गत वन्य जीव को आखेट द्वारा या किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाना अपराध है। इन वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु व्यापक व्यवस्था इस अधिनियम में की गयी है।

(i) आखेट के निम्न प्रकार हैं -

1. किसी वन्य पशु को पकड़ना, मारना, विष देना, जाल में फंसना, फन्दे में फंसाना और इसके लिए प्रत्येक प्रयास करना है।
2. उपखण्ड (अ) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किसी वन्य पशु का पीछा करना है।
3. किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना या उक्त पशु के शरीर के किसी भाग को ले जाना या जंगली पक्षी या रेंगने वाले अण्डों को क्षति पहुंचाना या उक्त पक्षी या रेंगने वाले अण्डों और घोंसलों को नुकसान पहुंचाना सम्मिलित है।
4. राष्ट्रीय उद्यान से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा-35 से धारा-38 के अंतर्गत "राष्ट्रीय उद्यान" घोषित किया गया हो या धारा-66 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया माना गया हो।
5. शस्त्र के अंतर्गत गोली, बारूद, धनुष और तीर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, चाकू, फन्दा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने, आघात पहुंचाने या मारने के योग्य हों, सम्मिलित हैं।
6. वन्य पशु से अभिप्राय प्रकृति द्वारा जंगली दशा में पाये पशु से हैं और इसमें अनुसूची 1 से 5 में विनिर्दिष्ट सभी पशु सम्मिलित हैं चाहे वे कहीं भी पाये गये हों।
7. वन्य जीव से अभिप्राय कोई पशु, मधुमक्खी, तितली, कस्टेसिया, मछली, पतंगा और जलीय या भूमि वनस्पतिक जीव जो पशु-पक्षी के प्राकृतिक निवास का अंग हो, सम्मिलित हैं।
8. यदि कोई पशु खतरनाक होगा तो उसको मारने के लिए धारा-11 (क) के अंतर्गत अनुमति दी जायेगी।

(ii) आखेट या वन्य जीवों के शिकार पर निषेध -

धारा-15 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जब तक विशेष रूप से लाइसेंस द्वारा अधिकृत न हो, हानिकारक वन पशु को छोड़कर किसी वन पशु के बच्चे या ऐसे पशु के मादा या चिकनी बारहसिंगा सहित हिरण का शिकार नहीं करेगा।

धारा-17 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति -

- क- पहिये वाली या मशीन से चलने वाले वाहन से या उसके माध्यम से जल में भूमि पर या वायुयान द्वारा किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।
- ख- किसी वन जीवन को खदेड़ने या भगदड़ पैदा करने के प्रयोजन के लिए वायुयान, मोटरयान या लाँच का प्रयोग नहीं करेगा।
- ग- रसायन, विस्फोटक, जाल, गिरने या गड़बा, जहर, जहरीले अस्त्र, जाल या फंदे से किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां तक वे वन पशु फंदा-लाइसेंस के अंतर्गत वन्य जीवों के पकड़ने से सम्बन्धित हों।
- घ- जब तक सिंगल स्लग बुलेट का उपयोग करते हुए गोली दागकर शिकार करने का अधिकार लाइसेंस द्वारा न हो, तब तक कोई विशेष आखेट या बड़े आखेट, राइफल से छोड़कर शिकार नहीं करेगा।
- ङ - शिकार के प्रयोजन के लिए किसी वनस्पति में आग नहीं लगायेगा।
- च- मरी (गाय) पर मांसाहारी पशु के सम्बन्ध में, जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त, शिकार के प्रयोजन के लिए नकली, प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा।
- छ- मरी (गाय) पर मांसाहारी पशु के सम्बन्ध में, जब ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अधिकृत होने के अतिरिक्त, रात्रि के समय यथा सूर्य के डूबने और सूर्य के उगने के मध्य किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।
- ज- सैड ग्राउस एवं जल पी पी को छोड़कर साल्ट लीक पर या जल स्रोत पर या पानी पीने के अन्य स्थान पर या मार्ग पर या उनके पहुंच मार्ग पर किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।

- झ- ऐसी किसी भूमि पर जो शासकीय न हो, तब उसके स्वामी या उसके अधिकर्ता या वैधानिक कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।
- ज- वह उस कार्य के लिए अनुज्ञप्ति धारण करते हुए भी धारा-16 में उल्लिखित बंद समय के दौरान किसी वन पशु का शिकार नहीं करेगा।
- ट- कुत्तों के सहयोग से किसी वन प्राणी का शिकार नहीं करेगा, केवल पानी-पक्षी के चकोर और पेटीज अथवा कोयल का शिकार कर सकेगा। उप धारा (1) के प्रावधान हानिकारक पशुओं के लिए लागू नहीं होंगे।

(iii) राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा -

1. जब कभी राज्य सरकार को ऐसा महसूस हो कि कोई क्षेत्र चाहे वह अभयारण्य हो या न हो, इकोलोजिकल, क्षेत्रीय पशु वर्ग, वनस्पति सम्बन्धी जिओफार्मोलोजिक या जन्तु विज्ञान संघ या महत्व के कारणों से उसमें या उसके आस-पास वन पशु के संरक्षण, उन्नति या विकास के प्रयोजन के लिए उसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन किया जाना आवश्यक है। तब वह अधिसूचना द्वारा उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने का आशय घोषित कर सकती है।
2. उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिफिकेशन उस क्षेत्र की मियाद परिभाषित करेगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने के लिए आशयित है।
3. जहां कोई क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित होने के लिए आशयित है यथा साध्य जांच और दावों के विनिश्चयन के लिए उक्त क्षेत्र में किसी भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की, समाप्ति के लिए धारा 19 से धारा -26 (दोनों सहित) के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि वे अभयारण्य की किसी भूमि के सम्बन्ध में कथित मामलों में लागू होते हैं।

4. जब निम्नलिखित घटना हो जाये, अर्थात् -

(अ) दावा प्रस्तुत करने की मियाद समाप्त हो गई हो और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किये जाने के लिए आशयित क्षेत्र की किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये और -

(ब) राष्ट्रीय उद्यान के भीतर अन्तर्विष्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित कर लिये गये हों।

तब राज्य सरकार, उक्त क्षेत्र की मियाद विनिर्दिष्ट करते हुए जो कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शामिल किया जायेगा, नोटिफिकेशन प्रकाशित करेगी और घोषित करेगी कि ऐसी तिथि को या तिथि से जो नोटिफिकेशन में विनिर्दिष्ट की जाये, कथित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान होगा।

5. राज्य विधान मण्डल का प्रस्ताव पारित हुए बिना राष्ट्रीय उद्यान की मियाद में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी वन्य प्राणी को नहीं ले जायेगा। नष्ट नहीं करेगा, अपने हित में उपयोग नहीं करेगा या किसी वन पशु के प्राकृतिक निवास को नष्ट नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचायेगा या उद्यान की मियाद में किसी वन पशु को उसके प्राकृतिक निवास से वंचित नहीं करेगा, केवल मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा के अंतर्गत या उसके अनुसार ही ऐसा कर सकेगा और ऐसी कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार इस बात के लिए संतुष्ट होते हुए कि राष्ट्रीय उद्यान से वन प्राणियों को ले जाना, नष्ट करना और अपने खुद के उपयोग में लाने, उसमें से वन प्राणी की उन्नति और समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक है और वह ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं कर देती है।
7. जहां उक्त राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा पशु वाहन के रूप में उपयोग में लाया जाये, उक्त अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्योग में किसी भी पशु के चरने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी और उसमें किसी भी पशु को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
8. धारा-27 और धारा-28, धारा-30 से धारा-32 (दोनों सम्मिलित) और धारा-33 के खण्ड (अ), (ब) और (स) और धारा-34 के प्रावधान जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उद्यान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अभयारण्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(iv) वन जीव संरक्षण हेतु प्रदेश द्वारा क्रियान्वित योजनाएं -

प्रदेश में वन्य जीवों को संरक्षण देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं -

1. प्रोजेक्ट टाइगर
2. प्रोजेक्ट एलीफेन्ट

3. स्नो लैपर्ड योजना
4. उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान
5. वायेस्फियर रिजर्व योजना

(घ) पशु अतिचार अधिनियम, 1871

यह अधिनियम पशुओं द्वारा अतिचार से सम्बद्ध विधि को समेकित करता है -

- ⇒ काजी हौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर निर्देश दें।
- ⇒ काजी हौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे, और वह परिबद्ध पशुओं को खिलाने-पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

(i) काजी हौस रखवालों के कर्तव्य -

प्रत्येक काजी हौस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे। जब पशु काजी हौस में लाए जाएं तब काजी हौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा -

- क- जीव जन्तुओं की संख्या और वर्णन।
- ख- वह दिन और समय जब वे वहां ऐसे लाए गए।
- ग- अभिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान और
- घ- स्वामी का, यदि ज्ञान हो, नाम और निवास स्थान तथा अभिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा।

काजी हौस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात निर्दिष्ट रूप में व्यक्त नहीं कर दिया जाता, भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलायेगा और पिलायेगा।

(ii) सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बाँधों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु :

सार्वजनिक सड़कों, आमोद-प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल-निकास संकर्मों, बाँधों आदि के भारसाधक व्यक्ति और पुलिस के अधिकारी, ऐसी सड़कों स्थलों, बागानों, नहरों जल निकास; संकर्मों, बाँधों आदि अथवा ऐसी सड़कों, जल निकास संकर्मों या बाँधों के पाशवों या ढलानों को नुकसान पहुंचाने वाले या वहां भटकते हुए पाए गए किन्ही पशुओं को अधिगृहीत करा सकेंगे और उनको 24 घण्टे के अन्दर निकटतम काजी हौस को भेजेंगे या भिजवायेंगे।

यदि पशुओं के लिए दावा सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जाये तो उक्त अधिकारी डोरी पिटवाकर उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्ति उसके स्थापना के किसी अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और समय पर ऐसी शर्तों के अधीन, जैसे जिला मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जायेगा।

(iii) पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने में हुई रिष्टि के लिए शास्ति की वूसली -

ठीक आगामी धारा के अधीन या पशुओं या किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से पूर्व हुई रिष्टि के अपराध के लिए अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी की विक्रय द्वारा वसूल किया जायेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था, चाहे वे अतिचार करते हुए अभिग्रहीत किये गये थे या नहीं, चाहे वे अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की सम्पत्ति हो या अतिचार किये जाने के समय उसके भाराधीन ही हो।

(iv) पशुओं द्वारा भूमि को कारित क्षति के लिए शास्ति -

पशु का कोई स्वामी पालक या परिचारक जो अपेक्षा से या अन्यथा ऐसे पशु को भूमि पर अतिचार करने के लिए अनुज्ञान करके किसी भूमि या किसी फसल या भूमि के उत्पाद का नुकसान पहुंचाता है या कारित करता है या नुकसान पहुंचाने की अनुज्ञा देता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध पर 10 रुपये से कम नहीं, के दण्ड के लिए दायी होगा, किन्तु जो 250 रुपये से अनधिक या तीन महीने से अनधिक के कारावास या दोनों से दण्डनीय होगा।

वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण एवं उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्य प्राविधान -

(1) किसी वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की प्रक्रिया -

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत सरकार की इस हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो। इसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से

समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण को देहरादून भेजी जायेगी।

(2) वन या वन भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए अनुमति प्राप्त करना और उसकी प्रक्रिया -

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जन साधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों को काटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है इसके लिए निम्नवत् प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र दिया जाना होगा।

संलग्न -1

उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अंतर्गत निजी वृक्षों के कटान एवं निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

..... वन प्रभाग

..... (जनपद का नाम)

द्वारा : वन क्षेत्राधिकारी

महोदय,

मैं/हम पुत्र/पुत्रगण

निवासी ग्राम पोस्ट

थाना तहसील जिला

का निवासी हूँ/हैं। मेरी/हमारी निजी भूमि ग्राम तहसील

जिला के खसरा (प्रतिलिपि संलग्न) प्लॉट संख्या

क्वा के निम्नानुसार वृक्ष खड़े हैं।

क्रम सं.	प्रजाति	संख्या	पातन का कारण
----------	---------	--------	--------------

1. मैं/हम उपरोक्त वृक्षों को काटकर निस्तारित करने के पश्चात् वृक्ष फलदार वृक्ष ईंधन प्रजाति के कुल वृक्षों को अपनी निजी भूमि ग्राम तहसील जिला पर अगली वर्षा ऋतु (जुलाई वर्ष) तक रोपित करूँगा/करेंगे, जिसके लिए नियमानुसार प्रतिभूति जमा करने को तैयार हूँ/हैं।

2. मेरी/हमारी ओर से वृक्षों के कटान दुलान के लिए श्री

पुत्र श्री निवासी ग्राम/मोहल्ला

तहसील जिला को एजेन्ट नियुक्त किया जाता है, जिसका एजेन्टनामा दो प्रतियों में संलग्न है।

3. मैं/हम इकरार करता/करते हैं कि मैं/हम उपरोक्त वृक्षों के कटान व निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अधीन दिए गए परमिट की शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे जिसके उल्लंघन के फलस्वरूप इस अधिनियम के तहत सजा का भागी रहूँगा/रहेंगे।

कृपया नियमानुसार फेलिंग परमिट तथा निकासी देने की कृपा करें।

नोट : यदि वृक्ष शामिल खाते में हैं तो सभी हिस्सेदार हस्ताक्षर करके विवरण लिखें।

प्रार्थी,

हस्ताक्षर

नाम

पुत्र

ग्राम

तहसील

जिला

4. मैं पुत्र श्री

निवासी ग्राम पोस्ट थाना

तहसील जिला का निवासी हूँ और ग्राम तहसील
..... जिला का प्रधान होने के नाते उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर प्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान

सील

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र श्री

ग्राम तहसील जिला

ग्राम में स्थित खसरा प्लॉट संख्या के स्वामी हैं और जीवित हैं। उक्त खसरा प्लॉट में वृक्षों की वर्णित संख्या सही है और इस पर कोई विवाद नहीं है।

हस्ताक्षर तहसीलदार/परगना मजिस्ट्रेट

नाम

सील

(3) किन पेड़ों को काटने के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है -

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जन साधारण को वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्षों के पातन हेतु निम्न व्यवस्था लागू है -

1. ऐसी 27 प्रजातियों जिनके पातन हेतु किसी अनुमति की आवश्यक नहीं, वे निम्न प्रकार हैं -

अगस्त, अरू, उतीस, कैजूरीना, जंगल, जलेबी, पौपलर, फारस, बकैन, बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस, रोबीनिया, बाटल, विलो, सिरिस, सुबसूल, अयार, कठबेर, खड़िक, जामुन/जमोआ, ढाक/पलास, पेपर, मलबरी, बेर, भीमल/बुकुला, मेहल/मेवली, सहजन एवं शहतूत।

(4) किन-किन प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध है -

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निम्न 12 वृक्ष प्रजातियों के पातन पर प्रतिबन्ध है- अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बांज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद, देवदार एवं आम (देशी, तुकमी, कमली)

(5) वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों का वन बन्दोबस्त के अंतर्गत अधिकार क्या है -

पर्वतीय क्षेत्र के वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों को वन बन्दोबस्त के समय से ही वनों से इमारती लकड़ी, जलौनी, कृषि यंत्रों हेतु लकड़ी, चराई, शाखकर्तन व खदान के हक-हकूक स्वीकृत किए गए हैं। सम्बन्धित प्रकाशित गजट में प्रत्येक प्रकार के हक-हकूक की स्वीकृत की मात्रा दी गई है। हक-हकूक वितरण के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय प्रत्येक वर्ष अधिकतम 32000 घन मी. वनोपज का उपयोग किया जा सकता है। इमारती लकड़ी व कृषि पट्टों हेतु स्वीकृत लकड़ी 3 वर्ष तक जमा रह सकती है और आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष पूर्व अग्रिम भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। स्वीकृत हक की लकड़ी की प्राप्ति ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से सम्पर्क कर की जायेगी तथा ग्राम सभा की हम वितरण समिति के माध्यम से वितरित की जायेगी।

(6) वन्य जीवों से जान माल की हानि की दशा में क्षतिपूर्ति -

शासनादेश संख्या - 2384/14-4-96-836/92 दिनांक 6.12.1996 में वन्य पशुओं द्वारा मारे या घायल व्यक्तियों को या वासियों को तथा वन्य पशुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर एवं जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों के मकान व फसल की क्षति की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

पालतू पशु के मारे जाने पर देय अनुग्रह आर्थिक सहायता -

जंगली शेर व गुलदार द्वारा ग्रामवासियों के पालतू पशुओं के मारे जाने की दशा में उनके मालिकों को देय आर्थिक अनुग्रह सहायता :

1. गाय, घोड़ा, खच्चर या ऊँट	रु. 1,200.00
2. बैल (तीन वर्ष या अधिक)	रु. 2,300.00
3. भैंस (तीन वर्ष या अधिक)	रु. 2,500.00
4. गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पडवा/पडिया	
क- दो वर्ष से ऊपर तथा तीन वर्ष से कम आयु	रु. 600.00
ख- एक वर्ष से कम आयु का	रु. 600.00
5. गधा	रु. 500.00
6. बकरी/भेड़ जिसकी आयु एक वर्ष या उससे अधिक (एक वर्ष से कम आयु के लिए कुछ अनुमन्य नहीं होगा)	रु. 150.00

उक्त अनुग्रह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अनुमन्य होगी :-

1. किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में उपरोक्त पालतू पशुओं के जंगली शेर/गुलदार द्वारा मारे जाने की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता तभी देय होंगे जब प्रश्नगत पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो।

अन्य अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

1. घटना की सूचना घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी को वनविद या सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए तथा स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच कर जांच कर लेनी चाहिए जिसमें यथासंभव क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं किसी सम्मानित व्यक्ति को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय वन्य जन्तु प्रतिपालक/प्रभागीय वनाधिकारी को भेज देनी चाहिए।
2. कृषि फसलों की आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की दशा में हानि का प्रतिशत आंकलन कर सम्पूर्ण क्षति हेतु उपरोक्त निर्धारित धनराशि के उतनी ही प्रतिशत दर से आर्थिक अनुग्रह सहायता देय होगी।

उदाहरणार्थ यदि किसी क्षेत्र में गेहूँ के क्षेत्र में 1/4 एकड़ में फसल एवं 1/2 एकड़ में 40 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हुई है तो उस दशा में 1/2 रु. 2,000.00 (1) + 1/4 रु. 2,000.00, 0.04 अर्थात् रु. 1,000.00 + रु. 200.00 - रु. 1,200.00 की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

3. घटना की अंतिम जांच उक्त क्षेत्र में वन्य जीव प्रतिपालक/सहायता वन संरक्षक द्वारा की जानी चाहिए।
4. जांच के बाद मुआवजे सम्बन्धी संस्तुति उक्त क्षेत्र में वन संरक्षक द्वारा मुख्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को की जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

उपरोक्त समस्त आर्थिक अनुग्रह सहायता पर व्यय अनुदान संख्या-60 के लेखाशीर्षक सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेतर-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-03 हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान-14 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाले जाएगा। ये आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या - ई-8-1488/दस-96 के 29 नवम्बर 1996 में प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(7) नील गाय द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुँचाने पर उन्हें नष्ट करना -

प्रदेश में नील गायों द्वारा फसल नष्ट करने पर उन्हें मारने/मरवाने के लिए शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को अनुज्ञा देने हेतु प्राधि कृत अधिकारी घोषित किया है।

वन विभाग एवं वन विकास निगम में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की सामूहिक बीमा वन विभाग एवं वन विकास निगम द्वारा अपने कार्यरत दैनिक श्रमिकों के लिए कार्य के लिए कार्य के दौरान मृत्यु एवं अपंगता के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गयी है। वन विभाग द्वारा मृत्यु की दशा में रु. 40,000.00 एवं अपंगता की दशा में रु. 12,500/- की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वन विकास निगम द्वारा मृत्यु एवं अपंग होने की दशा में क्रमशः 10,000/- एवं 5,000/- की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अग्रिम जानकारी निकटवर्ती प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय लौंगिक प्रबन्धक, वन विकास निगम से प्राप्त की जा सकती है।

(8) वन विकास निगम से लकड़ी कैसे क्रय की जा सकती है -

(क) विक्रय केन्द्र :-

वन विकास निगम द्वारा विभिन्न कस्बो/शहरों के निवासियों को उचित दरों पर इमारती लकड़ी एवं जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु विक्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनकी सम्बन्धित प्रभागीय लौंगिक प्रबन्धक से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) भवन निर्माण हेतु प्रकाष्ठ :-

जन सामान्य की मांग की पूर्ति हेतु भवन निर्माण के लिए एक बार में 3 घनमीटर की सीमा तक इमारती दिए जाने की व्यवस्था है। फुटकर बिक्री की आपूर्ति दर आधार मूल्य का 120 प्रतिशत निर्धारित है तथा देय कर अतिरिक्त होगा।

(ग) जलौनी लकड़ी :-

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को 150/- रु. कुन्तल की दर से 3 कुन्तल लकड़ी डिपो पर आपूर्ति की जाती है।

(घ) शवदाह हेतु जलौनी लकड़ी :-

उत्तराखण्ड में विभिन्न स्थानों पर शमशान घाटों में शवदाह हेतु डिपो खोले गये हैं। जहां 150/रु. कुन्तल की दर से लकड़ी प्राप्त की जा सकती है।

(ङ) अन्य वनोपज की आपूर्ति :-

स्थानीय नागरिकों को निम्न वन उपज निर्धारित दरों पर दी जाती है -

वनोपज	अधिकतम सीमा
बांस	3 कोड़ी
तारबाड़ के खम्बे	200 नग
फर्ना	3 घ. मी.
बुरादा	2 कुन्तल

(9) वन जीवों से जान-माल हानि की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का विवरण -

1. वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के वारिशों को अनुग्रह आर्थिक सहायता जंगली शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल द्वारा व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने पर देय आर्थिक सहायता।

1. वयस्क व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रु. 50,000.00
2. अवयस्क व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रु. 25,000.00
3. पूर्ण रूप से अपंग (इन्वैलिड) होने पर	रु. 50,000.00
4. आंशिक रूप से अपंग (विकलांग) होने पर	रु. 10,000.00
5. गंभीर रूप से घायल होने पर	रु. 5,000.00

उक्त अनुग्रह सहायता की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अंतर्गत किया जायेगा -

- वन विभाग के उप वन संरक्षक अथवा उच्चतर स्तर के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के उक्त वन्य पशुओं द्वारा मारे जाने/अपंग/घायल कर दिये जाने की पुष्टि एवं राजकीय चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया जाए।
- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक को अधिकार होगा कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरोक्त वन पशुओं के द्वारा होने पर अन्त्येष्टि आदि क्रिया के लिए वह उसके परिवार स्वजन को रु. 3,00,000 की धनराशि का भुगतान तत्काल करेंगे जो बाद में स्वीकृत अनुग्रह सहायता से कोट ली जायेगी।
- अनुग्रह सहायता की धनराशि स्वीकृति करने हेतु अंतिम जांच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को प्रस्तुत की जायेगी जो ऐसे मामले में निर्णय लेने हेतु एक अधिकारी होंगे।
- अनुग्रह राशि का भुगतान करने से पूर्व मृतक/पूर्णतः अपंग होने वाले व्यक्तियों के संबंध में राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील -

जनपद-

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा निवासी

..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
 - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
 - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
 - (ग) स्त्री या बालक
 - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
 - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
 - (च) औद्योगिक कर्मकार
 - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
 - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
 - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
 - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
 - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
 - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
 - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -